

**गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम,
1994 की क्रियान्विति हेतु वर्तमान व्यवस्था**

1.	राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड	माननीय स्वास्थ्य मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड कार्यरत है।
2.	बहुसदस्यीय राज्य समुचित प्राधिकारी	सचिव (परिवार कल्याण) एवं मिशन निदेशक (एनआरएचएम) की अध्यक्षता में बहुसदस्यीय राज्य समुचित प्राधिकारियों का गठन हो चुका है।
3.	राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी	निदेशक (परिवार कल्याण) को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी है।
4.	राज्य स्तरीय सलाहकार समिति	बहुसदस्यीय राज्य समुचित प्राधिकारियों को सलाह प्रदान करने हेतु राज्य सलाहकार समिति कार्यरत है।
5.	राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ	कार्यरत है।
6.	जिला स्तरीय समुचित प्राधिकारी	सम्पूर्ण जिले हेतु जिला कलेक्टर को जिला समुचित प्राधिकारी है।
7.	जिला स्तरीय सलाहकार समिति	जिला समुचित प्राधिकारी को सलाह प्रदान करने हेतु जिला सलाहकार समिति गठित हो चुकी है।
8.	जिला नोडल अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है।
9.	जिला पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ	जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक कार्यरत है।
10.	उप खण्ड स्तरीय समुचित प्राधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अति0/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0), (स्वा0) को समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।
11.	उप खण्ड स्तरीय सलाहकार समिति	उप खण्ड समुचित प्राधिकारियों को सलाह प्रदान करने हेतु उप खण्ड सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है।
12.	निरीक्षण हेतु लक्ष्यों का निर्धारण	संबंधित समुचित प्राधिकारियों के लक्ष्य निर्धारित किये जा चुके हैं।
13.	निरीक्षण हेतु समितियों का गठन	<ol style="list-style-type: none"> संभागीय स्तर पर संयुक्त निदेशक (जोन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा चुका है। जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि सम्मिलित है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर अथवा उनका प्रतिनिधि (प्रशासनिक अधिकारी), जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्थानीय मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि सम्मिलित है।